भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 27
5 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा योजना
***27. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले किसानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को फसल बीमा योजना से लाभान्वित होने वाले बीमित किसानों की घटती हिस्सेदारी की जानकारी है;
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि किसानों को और अधिक निधियां संवितरित की जाएं;
(घ) क्या सरकार की वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा प्रीमियम में वृद्धि करने की योजना है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार स्थानीय आपदाओं के प्रति बीमा कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने और फसल बीमा प्रणाली को और अधिक गतिशील तथा स्थानीयकृत बनाने के तरीकों का पता लगा रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा योजना" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 05.12.2023 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 27 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): खरीफ 2016 सीज़न से देश में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) राज्यों और किसानों के लिए स्वैच्छिक है। योजना के तहत किसानों की फसलों के लिए बुआई पूर्व से लेकर कटाई के बाद के चरणों तक सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक जोखिम कवरेज किसानों के लिए बहुत ही न्यूनतम प्रीमियम पर प्रदान किया जाता है। बीमा कंपनियों द्वारा बीमांकिक/बोली प्रीमियम दरें वसूल की जाती हैं, लेकिन किसानों को खरीफ के लिए अधिकतम **2%,** रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए **1.5%** और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए **5%** का भुगतान करना पड़ता है और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रावधानों के अनुसार बीमांकिक/बोली प्रीमियम का शेष हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा **50:50** के आधार पर और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में खरीफ **2020** सीज़न से और हिमालयी राज्यों के मामले में खरीफ **2023** से **90:10** के आधार पर साझा किया जाता है। प्राप्त अनुभव, विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर और किसानों को बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को और अधिक किसान अनुकूल बनाने की दृष्टि से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के प्रचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना के तहत पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शी रूप से पहुंचें। तथापि, पीएमएफबीवाई के अंतर्गत मौजूदा प्रीमियम ढांचे को संशोधित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। इस योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2022-23 तक नामांकित किसान आवेदनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग): पीएमएफबीवाई के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान नामांकित किसान आवेदनों और बीमित क्षेत्र के संदर्भ में कवरेज का वर्ष-वार ब्यौरा और उनमें वृद्धि की दर नीचे दी गई है:

वर्ष	किसान आवेदन (लाख में)	विकास दर	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	विकास दर
2020-2021	622.70	-	469.23	-
2021-2022	830.56	33.4%	443.08	-5.6%
2022-2023	1169.56	40.8%	498.91	12.6%

इसके अलावा, खरीफ सीजन के दौरान किसानों के आवेदनों की संख्या और बीमित क्षेत्र के साथ-साथ उनकी विकास दर के संदर्भ में कवरेज की तुलना नीचे तालिका में दी गई है:

सीजन (वित्त वर्ष नवंबर तक)	किसान आवेदन (लाख में)	विकास दर	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	विकास दर
खरीफ 2021	453	-	236	-
खरीफ 2022	606	33.8%	242	2.5%
खरीफ 2023	781	28.9%	300	24%

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2021-22 के दौरान किसान आवेदनों की संख्या में क्रमशः 33.4% और 41% की वृद्धि हुई है। खरीफ 2022 की तुलना में खरीफ 2023 सीजन (नवंबर 2023 तक) में किसान आवेदनों की संख्या में 28.9% और बीमित क्षेत्र में 24% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

विभिन्न उपायों जैसे इस योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के परिणामी संशोधन, बेहतर प्रौद्योगिकी - राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी), YES-TECH, WINDS, CROPIC का समावेश, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण, बढ़ी हुई आईईसी गतिविधियों आदि के कारण योजना के तहत कवरेज वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है। योजना के प्रारम्भ से लेकर रबी 2022-23 तक कृषकों के **प्रीमियम के 30,800 करोड़ रुपये** के हिस्से के विरुद्ध किसानों को **1,50,589 करोड़ रुपये** के दावों का भुगतान किया गया है, जो **किसानों के हिस्से का लगभग 5 गुना** है।

(घ): इस योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रीमियम हिस्से का भुगतान सरकार का प्रतिबद्ध दायित्व है और तदनुसार पर्याप्त बजट प्रावधान किया जाता है। वास्तव में, योजना का बजट चालू वित्तीय वर्ष में संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि संशोधित अनुमान 2022-23 में यह 12,375.76 करोड़ रुपये था।

पीएमएफबीवाई के तहत मौजूदा प्रीमियम संरचना को संशोधित करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च): यह योजना सरकार द्वारा जारी प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। सरकार ने ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों के कारण नुकसान और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलोरांत नुकसान जैसे मामलों में योजना को किसानों और बीमा कंपनियों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन स्थानीय जोखिमों के कारण दावों की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत आधार पर की जाती है और दावों का मूल्यांकन एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम नीचे दिए गए हैं:

- **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)** को ऑटो-एडमिनिस्ट्रेशन, सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और किसानों के सीधे ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान के विवरण अपलोड करने/प्राप्त करने और किसान के व्यक्तिगत बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है।
- **डिजीक्लेम**: बीमा कंपनियों द्वारा दावों की पारदर्शी गणना और निस्तारण के लिए, खरीफ 2022 सीज़न से दावा प्रबंधन मॉड्यूल अर्थात् डिजीक्लेम विकसित किया गया है जिसमें सभी दावों का आकलन राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से किया जाता है और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उपयोग करके किसानों के खातों में भुगतान किया जाता है।
- **एनसीआईपी के साथ भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण** मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा के लिए पूरा हो गया है जहां बीमित क्षेत्र का 90% अब भूमि रिकॉर्ड एकीकरण के माध्यम से राज्यों के ई-लैंड रिकॉर्ड के माध्यम से वैधीकृत किया जा रहा है।
- योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दृष्टि से, विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा प्राप्त करना

और इसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन पर नजर रखने की अनुमति देना, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण आदि ताकि किसानों के दावों का समय पर निस्तारण किया जा सके।

इसके अलावा, वस्तुपरक फसल क्षति और हानि आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकी पहलों को भी वर्ष 2023-24 से कार्यान्वयन के लिए हाल ही में मंजूरी दी गई है:

- YES-TECH (Yield Estimation System Based on Technology) - पैदावार का आकलन करने के साथ-साथ उचित और सटीक फसल उपज आकलन में मदद की दृष्टि से रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज आकलन करने के लिए यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज आकलन के लिए 30% वेटेज अनिवार्य रूप से YES-TECH व्युत्पन्न उपज को सौंपा जाएगा।

- WINDS (Weather Information Network and Data System) - ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डेटा एकत्र करने हेतु स्वचालित मौसम केंद्रों (एडब्ल्यूएस) और स्वचालित वर्षा-माप (एआरजी) के लिए नेटवर्क। इसे भारत मौसम-विज्ञान विभाग (आईएमडी) के समन्वय से अंतरसंचालनीयता और डेटा साझा करने के साथ एडब्ल्यूएस और एआरजी के एक राष्ट्रीय एकीकृत नेटवर्क पर डाला जाएगा। विंड्स न केवल येस-टेक के लिए बल्कि सूखे और आपदा के प्रभावी प्रबंधन, मौसम का सटीक पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों को तैयार करने के लिए भी डेटा प्रदान करेगा।

- CROPIC (Collection of Real-time photos and Observations of Crops) - बीमित फसल के साथ बोई गई फसल के वैधीकरण के लिए जियो-टैग की गई तस्वीरों हेतु और वस्तुपरक फसल क्षति आकलन और फसल उपज अनुमान के लिए चित्र विश्लेषण का उपयोग।

लो.स.ता.प्र.सं. 27
अनुबंध

योजना को क्रियान्वित करने वाले राज्यों के लिए पीएमएफबीवाई के तहत वर्ष 2020-21 से लेकर 2022-23 तक नामांकित किसान आवेदनों की संख्या का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**नामांकित किसान आवेदनों की संख्या (लाख में)**		
	2020-21	**2021-22**	**2022-23**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00
आंध्र प्रदेश*	एनआई	0.00	175.40
असम	16.60	9.96	4.90
छत्तीसगढ़	51.63	58.39	77.24
गोवा#	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	16.51	14.53	14.46
हिमाचल प्रदेश	2.41	2.34	2.67
जम्मू और कश्मीर	एनआई	0.91	0.92
कर्नाटक	16.07	19.34	26.45
केरल	0.76	0.99	1.47
मध्य प्रदेश	84.41	92.67	177.26
महाराष्ट्र	124.06	99.03	107.44
मणिपुर	एनआई	0.03	0.04
मेघालय#	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	97.52	81.70	80.06
पुद्दुचेरी	0.11	0.36	0.31
राजस्थान	107.59	345.31	390.74
सिक्किम	0.00	0.02	0.05
तमिलनाडु	58.88	59.14	61.60
त्रिपुरा	2.57	3.36	3.21
उत्तर प्रदेश	41.90	40.67	42.53
उत्तराखंड	1.71	1.83	2.82
योग	**622.74**	**830.56**	**1,169.56**

* 2022-23 से योजना में फिर से शामिल
# संख्या को लाख में पूर्णांक किया गया है, इसलिए इसे 0 के रूप में दिखाया गया है।
एनआईः कार्यान्वित नहीं किया।

*****